

13 02/26

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थनी अधिवक्ता उपरिथत। विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपरिथत। शेष विप्रार्थी एकपक्षीय। विप्रार्थी अधिवक्ता जवाब पेश करने हेतु एक ओर अवसर चाह रहे हैं, जबकि पूर्व में पर्याप्त अवसर दिए जाने के कारण विप्रार्थी का जवाब बंद किया जाता है। तत्पश्चात उभयपक्ष अधिवक्ताओं की अंतिम बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मूलवाद बंटवाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया है, जो मूलवाद में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय होगा कि प्रार्थनी राहत प्राप्त करने की हकदार है अथवा नहीं। लेकिन विवादित आराजी पर स्थगन आदेश को जारी किया जाना उचित प्रतीत होता है, ताकि पक्षकारान के मध्य नौका स्थिति को लेकर विवाद आगे ओर नहीं बढे। ऐसी स्थिति में हस्तगत प्रकरण में प्रथम द्वष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थनी के पक्ष में बनता है, क्योंकि विवादित आराजी का विधिवत निस्तारण नहीं होने तक यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद-विवाद हो जाता है, तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थनी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत लगता है।

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रथम द्वष्यता मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनों ही बिन्दु प्रार्थनी के पक्ष में बनते हैं।

लिहाजा प्रार्थनी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साबित होने के कारण ग्राम जसोल तहसील पचपदरा की खसरा संख्या 2058/673 भूमि के संबध में राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने हेतु उभयपक्ष को मूलवाद के निर्णय तक पाबंद किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा